न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2018/00467

रामपाल आत्मज बिरधा जाति गुर्जर निवासी बोरोदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. अशोक आत्मज सियाराम जाति कलाल निवासी खातौली ।
2. तेजमल आत्मज बिरधीलाल जाति बावरिया निवासी तलाब तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, पीपल्दा जिला कोटा ।

उपस्थित :– 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री जितेन्द्र चौरसिया, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 07.09.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 92ए एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बीरोदा में कुल 02 किता की रकबा 2.40 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि पर वादी निर्बाध रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है । वादी के खाते की आराजी खसरा नम्बर 316/337 के समीपस्थ लगवा सिवायचक खाता सरकार कृषि भूमि खसरा नम्बर 316 मुताबिक नक्शा पटवारी उत्तर व दक्षिण दिशा की तरफ स्थित है तथा वादी के खाते की आराजी खसरा नम्बर 316/337 के नक्शा मुताबिक पश्चिम दिशा की तरफ एक सफेद जगह जिसको नक्शा ट्रेस में बिना खसरा नम्बर मुताबिक नक्शा ट्रेस दिनांक 06.06.2012 में दर्शाया गया है । उक्त आराजी पर वादी काबिज काश्त है जिस पर वादी धारा 91 एलआर एक्ट की पालना में सन् 2012 से शास्ति जमा करवाता चला आ रहा है । प्रतिवादी कम 02 को ग्राम बीरोदा की खसरा नम्बर 316 रकबा 4.47 हैक्टर में से 1.27 हैक्टर पर गैर खातेदार दर्ज किया गया है जबकि उनका उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। बिना दखल कार्यवाही के प्रतिवादी कम 02 को गैर खातेदार दर्ज किया गया है जिससे वह

वादी को उक्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करे और प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 316/339 को नक्शे लट्ठे में दुरूस्त किया जाकर खाते से प्रतिवादी कम 02 का नाम विलोपित किया जाकर खाता सरकार दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त की किसी प्रकार की मदाखल व मजाहमत नहीं करें और न ही उक्त भूमि से वादीगण को बेदखल करने का प्रयास करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादी कम 02 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट कम 02 के खाते में दर्ज है जो अनुसूचित जाति के सदस्य हैं । उक्त भूमि धारा 42 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से संरक्षित है जिस पर वादी जो कि सवर्ण जाति के सदस्य हैं को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में पूर्व में विभिन्न न्यायालयों द्वारा निर्णय पारित किये जा चुके हैं। वादी ने उक्त तथ्यों को छुपाकर वाद पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है । अतः दावा वादी खारिज किया जावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 26.06.2018 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.2018 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही लोक अदालत में रखते हुए वाद वादी खारिज किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । पक्षकारान के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कोई विधिवत राजीनामा पेश नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज दर्ज रजिस्टर की गईं । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी के द्वारा हक घोषाणा का दावा पेश किया गया था और वादी को बिना सूचना दिये सीपीसी की पालना किये बिना इसको लोक अदालत में खारिज किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी सिवायचक थी जिस पर प्रतिवादीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा चुके हैं । वादी का दावा विधिक रूप से मेन्टेनेबल नहीं है । वादग्रस्त आराजी के बाबत् अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा के द्वारा दिनांक 30.05.2015 को वादी की अपील खारिज की है इस तथ्य को छुपाकर यह दावा पेश किया गया है । रेस्पोडेन्ट अनुसूचित जाति के सदस्य हैं । धारा 42 बी के उल्लंघन में वादी को इस पर खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.2018 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय में वादी के द्वारा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा यह कथन करते हुए पेश किया गया है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 257/336 रकबा 0.62 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 316/337 रकबा 1.78 हैक्टर कुल 02 किता की कुल रकबा 2.40 हैक्टर आराजी वादी के खाते में दर्ज है जिस पर वादी का कब्जा चला आ रहा है। वादी की आराजी से लगवा सिवायचक खसरा नम्बर 316 स्थित है इस पर वादी का शांतिपूर्ण कब्जा चला आ रहा है । प्रतिवादी कम 02 को खसरा नम्बर 316 की रकबा 4.47 हैक्टर में से 1.27 हैक्टर पर गैर खातेदार दर्ज किया गया है जबकि उसका कब्जा इस आराजी पर नहीं है । परीक्षण न्यायालय में दावा वादी पेश होने के उपरान्त प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पेश किया गया जिसके जवाब प्रार्थना पत्र में पत्रावली लम्बित थी और इसमें दिनांक 21.05.2018 की तारीख दी गई थी । दिनांक 21.05.2018 की कोई आदेशिका पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है और सीधे ही दिनांक 26.06.2018 को पक्षकारों की अनुपस्थिति में दावा वादी खारिज किया गया है ।

11. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.2018 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी कम 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का अपीलान्ट से जवाब प्राप्त कर विधि सम्मत रूप से नये सिरे से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 27.10.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 07.09.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

7/9/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा